

प्ररुप 15
(प्रथम अनुसूची का अनुच्छेद 6 देखिए)
FORM XV
(see Article 6 of the First Schedule)

संस्थापनों में पेट्रोलियम के आयात और भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति
LICENCE TO IMPORT AND STORE PETROLEUM IN INSTALLATION

नवीनीकरण नं. (Renewal No.) 1 दिनांक (dated) 28/12/2011

अनुज्ञप्ति सं. (Licence No.) :- P/HQ/TN/15/4786(P226617) फीस रुपए (Fees Rs.) 4730 /- प्रति वर्ष (Per year)

श्री M/s OPG Power Generation Pvt. Ltd., 167 St. Marys Road Alwarpet, Chennai, CHENNAI, Tamil Nadu, PIN - 600018 को केवल इसमें यथा विनिर्दिष्ट वर्ग के और मात्राओं में पेट्रोलियम 272 किलोलीटर आयात करने के लिए और उसका, नीचे वर्णित और अनुमोदित नक्शा संख्या P/HQ/TN/15/4786(P226617) तारीख 27/7/2009 जो कि इससे उपाबद्ध है, में दिखाए गए स्थान पर भंडारकरण के लिए, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन रहते हुए यह अनुज्ञप्ति अनूदत्त की जाती है।

Licence is hereby granted to M/s OPG Power Generation Pvt. Ltd., 167 St. Marys Road Alwarpet, Chennai, CHENNAI, Tamil Nadu, PIN - 600018 valid only for the importation of 272 K.L Petroleum of the classes and quantities as herein specified and storage thereof in the place described below and shown on the approved plan No P/HQ/TN/15/4786(P226617) dated 27/7/2009 attached hereto subject to the provisions of the Petroleum Act, 1934 and the rule made thereunder and to the further conditions of this Licence.

यह अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर 2014 तक प्रवृत्त रहेगी।
The Licence shall remain valid upto 31st day of December 2014

पेट्रोलियम का विवरण (Description of Petroleum)	किलोलीटर में अनुज्ञप्त क्षमता (Quantity licenced in K.L.)
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम (Petroleum Class A in bulk)	निरंक (Nil)
वर्ग क प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न (Petroleum Class A otherwise than in bulk)	निरंक (Nil)
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम (Petroleum Class B in bulk)	40 किलोलीटर (KL)
वर्ग ख प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न (Petroleum Class B otherwise than in bulk)	निरंक (Nil)
वर्ग ग प्रपुंज पेट्रोलियम (Petroleum Class C in bulk)	40 किलोलीटर (KL)
वर्ग ग प्रपुंज पेट्रोलियम से भिन्न (Petroleum Class C otherwise than in bulk)	निरंक (Nil)
कुल क्षमता (Total Capacity)	272 किलोलीटर (KL)

अनुज्ञप्ति दिनांक (Licence Date) : 27/7/2009

for Chief Controller of Explosives

अनुज्ञप्त परिसरों का विवरण और अवस्थान
DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES

अनुज्ञप्त परिसर जिसकी विन्यास सीमाएं अन्य विशिष्टयां संलग्न अनुमोदित नक्शे में दिखाई गई है S. No. 195/2A, Pappankuppam, TIRUVALLUR, Tamil Nadu, स्थान पर अवस्थित है तथा उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :- One aboveground Petroleum Class 'B' (HSD) and one aboveground Petroleum Class 'C' (HFO) storage tanks together with other connected facilities.

The licensed premises, the layout, boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan are situated at S. No. 195/2A, Pappankuppam, TIRUVALLUR, Tamil Nadu, and consists of One aboveground Petroleum Class 'B' (HSD) and one aboveground Petroleum Class 'C' (HFO) storage tanks together with other connected facilities.

पेज सं. 2

अनुज्ञप्ति संख्या- (Licence No.) P/HQ/TN/15/4786(P226617)

नवीनीकरण के पृष्ठानकन के लिए स्थान
SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

पेट्रोलियम अधिनियम, १९३४ के उपबन्धों या उनके अधीन बनाए गए नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति फिस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जा सकेगी. The licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of any provision of the Petroleum Act, 1934 or of the rules framed thereunder or of any of the conditions of this licence.	नवीकरण की तारीख Date of Renewal	समाप्ति की तारीख Date of Expiry	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और स्टाम्प Signature and office stamp of the licencing authority.
--	------------------------------------	------------------------------------	--

1)	28/12/2011	31/12/2014	
----	------------	------------	--

डा.एस.के.दीक्षित (Dr. S K Dixit)
विस्फोटक नियंत्रक
(Controller of Explosives)

यदि अनुज्ञप्ति परिसर इसमें उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है उनमें से किसी का उल्लंघन होने की दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अपराध के लिए साधारण कारावास से, जो एक मास तक हो सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए साधारण कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

This licence is liable to be cancelled if the licensed premises when inspected are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable for the first offence with simple imprisonment which may extended to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.